

प्रेस-विज्ञप्तिएसपी द्वारा चलाये गये अभियान के तहत कुल 36 वारण्टी, 07 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज बीती रात्रि में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वाँछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के तहत सभी थानों की पुलिस द्वारा वाँछित/वारण्टी व कोर्ट से विगत लूटों में प्रकाश में आये लूटेरों के यहाँ दबिश दी गयी।

उक्त अभियान के तहत पूरे जनपद में 36 वारण्टी व 07 वाँछित गिरफ्तार किये गये है। इस अभियान में विगत लूट के दौरान प्रकाश में आए व्यक्तियों को थाने पर लाकर पूछताछ की जा रही है। थाने पर लाये गये व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

थाना- बिलरियागंजलगभग सवा किलो ग्राम अवैध गाँजा के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.10.2021 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़ मय फोर्स के तहत तलाश वाँछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम व चेकिंग वाहन के पटवध बाजार मे मौजूद थे जहां पहले से मौजूद हे0का0 गोविन्द यादव व का0 रवि प्रभाकर से अपराधियों के सम्बन्ध मे वार्ता की जा रही थी कि जरिये मुखबिर खास उ0नि0 ओमप्रकाश यादव को सूचना मिली की एक व्यक्ति मोहम्मदपुर की तरफ से नसीरपुर चौराहे की तरफ से पैदल आ रहा है जिसके पास एक झोले मे नाजायज गाँजा है। इस सूचना पर विश्वास कर क्षेत्राधिकारी सगड़ी को जरिए संचार माध्यम से अवगत कराते हुए मय राह कर्मचारीगण व मुखबिर खास के प्रस्थान कर नसीरपुर चौराहे पर बैंक के बगल मे पहुँचकर मोहम्मदपुर की तरफ से आने आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगे की क्षेत्राधिकारी सगड़ी आ गये तब तक एक व्यक्ति मोहम्मदपुर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जिसकी तरफ मुखबिर खास इसारा करके हटबढ़ गया। पुलिस द्वारा आने वाले व्यक्ति को नसीरपुर चौराहे से करीब 50 कदम की दूरी पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से क्षेत्राधिकारी सगड़ी के नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो तो उसने अपना नाम आरिफ पुत्र फतेहमुहम्मद निवासी मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बताया जिसकी जामा तलाशी से उसके दाहिने हाथ के झोले से नाजायज गाँजा बरामद हुआ। गाँजा रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो दाखिले से कासिर रहा और अपनी गलती की बार बार माँफी मांगने लगा। झोले मे रखे गाँजे को तौला गया तो उसका वजन 1 किग्रा0 200 ग्राम मिला। अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 NDPS ACT का बोध कराते हुए समय करीब 08.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1- आरिफ पुत्र फतेहमुहम्मद निवासी मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बरामदगी।

बरामदगी

- 01 किग्रा0 200 ग्राम नाजायज गाँजा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 176/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तारी स्थान

- नसीरपुर चौराहा थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

पूछताछ विवरण:-

- अभियुक्त से अवैध गाँजा रखने के सम्बन्ध मे पूछने पर बता रहा है कि इसे बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूँ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- 2- हे0का0 गोविन्द यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- 3- का0 रवि प्रभाकर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- 4- का0 संजीव यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- 5- का0 प्रमोद कुमार यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

थाना-निजामाबाद

25 शीशी अवैध देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद यादवेन्द्र पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में उ०नि० श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय राहीयान के देखभाल क्षेत्र व चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुहम्मदपुर पुलिया के पास एक व्यक्ति अवैध देशी शराब बेच रहा है कि मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके उ०नि० मय राही मौके पर पहुँचकर देखे तो एक व्यक्ति सफेद रंग का झोला लेकर बैठा है तथा पुलिस बल को देखकर उठकर भागने लगा जिसे सिखलाये हुये तरीके से पुलिसबल द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया तथा पूछताछ किया तो अपना नाम मोहन पुत्र दयाराम निवासी विशुनपुर थाना रानी की सराय आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त उपरोक्त के पास से 25 शीशी देशी शराब नाजायज बरामद किया गया। जिसको समय करीब 21.30 बजे गिरफ्तार कर मा० न्यायालय चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मोहन पुत्र दयाराम निवासी विशुनपुर थाना रानी की सराय आजमगढ़ बरामदगी-

1- 25 शीशी देशी शराब नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह थाना निजामाबाद, आमजगढ़
2. का० रोहित कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना-रौनापार

01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी सगड़ी तथा थानाध्यक्ष रौनापार श्री अखिलेश पाण्डेय के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उप-निरीक्षक राजेन्द्र कुमार मय फोर्स द्वारा दिनांक 11.10.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर करखिया तिराहा से समय करीब 07.30 बजे मु०अ०सं० 177/21 धारा 354ख/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त (1) अरविन्द पुत्र रामकेवल सा० छपरा थाना रौनापार आजमगढ़ को हिरासत पुलिस में लेकर अभि० को जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 177/2021 धारा 354ख/506 भादवि थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- अरविन्द पुत्र रामकेवल सा० छपरा थाना रौनापार आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री राजेन्द्र कुमार रौनापार आजमगढ़
2. का० रामनिवास यादव थाना रौनापार आजमगढ़